

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 27.04.2024

थाना को0कटरा पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से सम्बन्धित 03 आरोपी गिरफ्तार , लूट की शत-प्रतिशत धन राशि , घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व अवैध तमंचा बरामद —

थाना को0कटरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 25.04.2024 को मुन्नी देवी पत्नी सुनेन्द्र कुमार निवासिनी छोटी बसही लोहिया तालाब थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा दो अज्ञात मोटर साइकिल सवार अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी का बैग लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-78/2024 धारा 356 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु थाना प्रभारी को0कटरा को निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0कटरा पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक: 27.04.2024 को थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्रांतर्गत घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्त 1. शिवम कन्नौजिया पुत्र राजेश कन्नौजिया निवासी लंका पहाड़ी काशी राम आवास थाना को0देहात जनपद मीरजापुर , 2. विकास पुत्र घनश्याम निवासी भैसहिया टोला थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर व 3. रोहित कुमार गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद निवासी भैसहिया टोला थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का शत-प्रतिशत धन राशि 7000 रूपया , लूट का सामान व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल व एक अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 392,34,120बी,411 भादवि व 3/25 आयुध एक्ट में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. शिवम कन्नौजिया पुत्र राजेश कन्नौजिया निवासी लंका पहाड़ी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. विकास पुत्र घनश्याम निवासी भैसहिया टोला थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 20 वर्ष।
3. रोहित कुमार गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद निवासी भैसहिया टोला थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर उम्र करीब 19 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

1. लूट की शत-प्रतिशत धन राशि 7000 रूपये नगद, मोबाइल फोन व आधार/पैन कार्ड बरामद।
2. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल।
3. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

रोडवेज तिराहा के पास से, दिनांक 27.04.2024 को समय 16.30 बजे।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-78/2024 धारा 392,34,120बी,411 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-80/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

अपराधिक इतिहास-(रोहित कुमार गुप्ता)

1. मु0अ0सं0 119/23 धारा 401,414 भादवि थाना सिवान बिहार।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना को0कटरा अजय कुमार सेठ मय पुलिस टीम।



2024/04/27 14:38